बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना)
(Regd. office: 1st Floor Vidyut Bhawan, Jawahar Lal Nehru Marg, Patna)
TIN VAT No.-10011255025 CIN-U40102BR2012SGC018495
website: www.bsphcl.bih.nin.in
Department of General Administration

संकल्प संख्या — 57 —/ दिनांक 29/05/19 —/

H-II/Allegation-1703/2019

श्री अजय कुमार राय, तदेन लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड सम्प्रति लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या 748 दिनांक 18.06.2018 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के प्रसंग में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.04.2019 को सुनवाई की गई।

श्री अजय कुमार राय जब लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पद पर पदस्थापित थे तब उनके अधीनस्थ पदस्थापित श्री शशि कुमार, लेखा सहायक के द्वारा रू० 48,89,955/– (अड़तालीस लाख नवासी हजार नौ सौ पचपन रूपये) का गबन किया गया। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि यह गबन संबंधित लेखा पदाधिकारी की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं पर्यवेक्षीय दायित्व के निर्वहन के प्रति उदासीनता के कारण घटित हुई। Manually तैयार की गयी सूची की यदि जांच की जाती तो इस प्रकार की जालसाजी संभव नहीं होती। लेखा पदाधिकारी द्वारा बिना जांच किये अपने अधीनस्थ कर्मी के द्वारा प्रस्तुत विपत्रों को पारित किया जाता रहा एवं चेक हस्ताक्षरित किया जाता रहा जिसके कारण ही गबन करने का पूरा अवसर श्री शशि कुमार, लेखा सहायक को प्राप्त होता रहा।

उपर्युक्त अनियमितताओं के लिये श्री राय से पत्रांक 991 दिनांक 05.10.2017 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। प्राप्त उत्तर के सम्यक समीक्षोपरान्त तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी से श्री एन० के० झा, महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री राय द्वारा अपने पर्यवेक्षीय कर्त्तव्यों एवं निकासी/व्ययन पदाधिकारी के रूप में बरती गयी लापरवाही हेतु संकल्प संख्या 748 दिनांक 18.06.2018 द्वारा एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

अपील अभ्यावेदन एवं सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता श्री राय ने मुख्य रूप से बताया है कि Prosix Software के माध्यम से वेतन/पेंशन/बकाया विपत्रों के पारित करने के लिए पूर्व से प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत ही विपत्रों को पारित करने तथा तदनुसार, चेक निर्गत करने का कार्य किया गया। इस सॉफ्टवेयर में अन्तर्निहित कतिपय कमजोरियाँ थी, जिनके निराकरण

के विषय में एक कार्यशाला में उन्होंने उल्लेख भी किया था, उन्हीं कमजोरियों का लाभ उठाकर सुनियोजित तरीके से लेखा सहायक द्वारा गबन किया गया। अभ्यावेदन में यह भी बताया गया है कि निकासी/व्ययन पदाधिकरी के रूप में उन्होंने निष्ठापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह किया है। विभिन्न अंकेक्षकों द्वारा भी गबन को न पकड़ पाना यह स्थापित करता है कि उनके स्तर से लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना कृत्य नहीं किया गया है।

अग्रतर अपीलकर्त्ता द्वारा बताया गया कि वस्तुतः उपर्युक्त वित्तीय अनियमितता एवं गबन उनके द्वारा ही प्रकाश में लाया गया था। कम्पनी के कर्मी द्वारा पारित विपत्र से कम राशि उनके बैंक. खाता में भेजे जाने पर उनके समक्ष शिकायत की गयी। मामले की विस्तृत जांच उनके द्वारा की गयी और पाया गया कि ऐसे अनेक कर्मी हैं जिनके खाता में पारित विपत्र से कम या अधिक राशि Credit की गयी है। गहन समीक्षा एवं विस्तृत जांच के क्रम में पाया गया कि श्री शशि कुमार, लेखा सहायक द्वारा बैंक को भेजे जाने वाले सलाह पत्र (Advise) में हेर–फेर कर कम्पनी की राशि का गबन किया जा रहा था।

उपलब्ध अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि श्री शशि कुमार, लेखा सहायक (सम्प्रति बर्खास्त) द्वारा विपत्र पारित करने एवं राशि को बैंक को हस्तांतरित किये जाने की चली आ रही प्रचलित व्यवस्था एवं तकनीकी खामी का अनुचित लाभ उठाते हुए दूसरे के मद की राशि को बैंक में हस्तांतरित करने के दौरान हेरा–फेरी करते हुए अपने खाता संख्या 8531101008889 में हस्तांतरित कर गबन किया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कम्पनी की पूर्व से प्रचलित व्यवस्था के अनुसार विपत्र पारित हो जाने के उपरांत संबंधित लेखाकर्मी द्वारा विपत्र की प्रति तथा Bank Advice की Excel Sheet रोकड़पाल के पास संबंधित धनराशि का चेक निर्गत करने के लिए भेज दिया जाता था। रोकड़पाल द्वारा चेक बनाकर उसे नियमानुसार निर्गत कराया जाता था। धनराशि को लाभार्थियों के खाते में भेजने के लिए Bank Advice की Excel Sheet को बैंक के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रूपांतरित कर बैंक में राशि हस्तांतरित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व रोकड़पाल का था। इसी क्रम में श्री शशि कुमार, लेखा सहायक (रोकड़पाल) द्वारा Bank Advice की Excel Sheet में कर्मचारी का वेतन/पेंशन कम/अधिक भेजते हुए अंतर राशि को अपने खाते में हस्तांतरित कर लिया जाता था। पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार Bank Advice पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। Prosix द्वारा तैयार कम्प्यूटर प्रिंट की कुल राशि एवं Manually तैयार की गयी Excel Sheet की कुल राशि एक समान होने के फलस्वरूप यह हेरा–फेरी सहज रूप से लेखा पदाधिकारी के संज्ञान

में नहीं आ सकी। बैंक से Reconciliation पर इस गड़बड़ी का पकड़ में आना संभव नहीं था, क्योंकि कुल जोड़ में बदलाव नहीं होता था।

अपील आवेदन की समीक्षा के क्रम में अपीलकर्त्ता को निर्गत स्पष्टीकरण के आलोक में प्राप्त उत्तर के संदर्भ में महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त मंतव्य एवं प्रश्नगत गबन की जांच हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) द्वारा दिये गये मंतव्य से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा ही इस मामले का उद्भेदन किया गया। गबनकर्त्ता द्वारा असुरक्षित एवं अपूर्ण सॉफ्टवेर की कमियों का अनुचित लाभ उठाकर हेरा–फेरी की गयी। यह स्पष्टतः एक प्रणाली विफलता थी, जिसका अनुचित लाभ गबनकर्त्ता श्री शशि कुमार द्वारा उठाया गया। इस गबन में श्री कुमार के साथ अपीलकर्त्ता अथवा किसी अन्य की संलिप्तता परिलक्षित नहीं होती है।

पूरे मामले की गहन एवं सूक्ष्म समीक्षा से स्पष्ट है कि श्री शशि कुमार, लेखा सहायक (सम्प्रति बर्खास्त) द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र कर Criminal Mind Set के साथ गबन किया गया। अपीलकर्त्ता लेखा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। पूरे मामले में उनकी ऐसी कोई गलत मंशा अथवा कृत्य प्रकट नहीं होती है जिससे प्रश्नगत मामले में उनकी संलिप्तता स्थापित होती हो।

अधोहस्ताक्षरी का स्पष्ट अभिमत है कि अपीलकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत गबन का उद्भेदन कर लेखा पदाधिकारी के रूप में एक कर्त्तव्यनिष्ठ एवं निष्ठावान पदाधिकारी के दायित्व का निर्वहन किया है। गबन में संलिप्तता मानकर उन पर शास्ति अधिरोपित किया जाना पूर्णतः औचित्यहीन है, जिससे कार्य करने के प्रवर पदाधिकारियों के नैतिक चरित्र, उत्साह एवं मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री अजय कुमार राय, तदेन लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड सम्प्रति लेखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड की अपील स्वीकृत करते हुये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के संकल्प संख्या 748 दिनांक 18.06.2018 द्वारा उनपर अधिरोपित शास्ति निरस्त की जाती है। उन्हें अधिक सजगता एवं तत्परता से कार्य करने हेतु निदेशित किया जाता है। भविष्य में इस प्रकार की गबन की घटनाओं की पुनरावृति न हो, इस हेतु जांच समिति द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक